बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 212 ● नई दिल्ली ● शनिवार 23 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जेएनयू में हंगामा: लाइब्रेरी में अत्याधुनिक प्रवेश प्रणाली को लेकर घमासान, छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार हुए चोटिल

नई दिल्ली । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की डॉ. बी आर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में बाहरी छात्रों को प्रवेश देने से रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रवेश प्रणाली लगाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी प्रवेश प्रणाली को लेकर आमने-सामने है। आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में अत्याधुनिक प्रवेश प्रणाली लगाने को लेकर हंगामा हुआ है। मशीन लगाने के समय विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार के पैर में चोट लग गई। मशीन लगाने से रोकने के दौरान गेट का शीशा टूटकर पैर में लगा है। दिल्ली पुलिस कैंपस में पहुंची। हाल में लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में टेबल पर जातिसूचक और आपत्तिजनक शब्द लिखने का मामला सामने आया था।

ये दीदी न डरेगी, न थकेगी और न हारेगी- सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार शुक्रवार (22 अगस्त) को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुईं. उन्होंने आज शोक बाजार, गांधी नगर में वस्त्रिका-2025 कार्यक्रम और गांधी नगर मार्केट की स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की. इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- आपकी ये दीदी न डरेगी, न थकेगी और न हारेगी. यमुना पार की जनता को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की एक बहुत बड़ी संख्या यमुना के इस पार रहती है. जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है. मैं आपको चौथे उपहार के रूप में यह कहना चाहती हूं कि मां गंगा का अविरल रूप आपको समय के साथ बेहतर और सुंदर दिखाई देना शुरू होगा. पूरे यमुना पार में पावर की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो यह सुनिश्चित किया जाएगा. सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, मैं इतना विश्वास दिलाती हूं कि जहां-जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां बिछाई जाएगी. जहां पार्किंग की दिक्कतें है, वहां मल्टीपल

पार्किंग बनेगी. जहां शौचालय नहीं हैं, वहां बनाए जाएंगे. आपकी यह मुख्यमंत्री दीदी ने डरेगी, न थकेगी और न हारेगी. जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार न मिल जाएं, मैं आपको साथ संघर्ष करती रहूंगी. आपके साथ लगातार संघर्ष करने का मेरा प्रण है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को गांधी नगर में एक कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने गांधी नगर थोक बाजार द्वारा आयोजित ओपन मार्केट गारमेंट शो, वस्त्रिका के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा,

सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में लगे मुर्दाबाद के नारे, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया

अरविंदर लवली दिल्ली सरकार में शीर्ष पदों पर रहे हैं, लेकिन बिना किसी छिपे एजेंडे के, सिर्फ विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुए. वह गांधी नगर के मुख्यमंत्री की तरह हैं. उन्होंने दिल्ली के विकास की शपथ ली है. सीएम रेखा गुप्ता ने यह जानकारी भी दी कि उनकी सरकार सभी डीटीसी बसों के लिए रूट मैपिंग शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत ट्रांस यमुना से होगी. उन्होंने कहा, हम रूट तय करेंगे. हर इलाके को पर्याप्त बसें मिलेंगी. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के गांधी नगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक शख्स ने वहां आकर नारेबाजी शुरू कर दी. यह घटना ऐसे समय हुई जब रेखा गुप्ता पर हाल ही में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था. इसके बाद से ये दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसमें वो शामिल होने पहुंची थी. दिल्ली सीएम यहां गांधी नगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम व्यापारियों से संवाद कर रही थीं. दिल्ली में इस हफ्ते ही जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था. जिससे सीएम काफी सदमे में थी. हालांकि उनकी सुरक्षा तुरंत चाक चौबंद करने का फैसला लिया गया. नतीजतन उनकी सिक्योरिटी लेयर को 'से बढ़ाकर' प्लस कर दिया गया. इसके साथ ही उनकी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया. इसके अलावा कुछ बदलाव भी किए गए. जैसे जनसुनवाई में पहुंचने वालों का ब्योरा पहले ही ले लिया जाएगा और सीएम से मिलने के दौरान लोग थोड़ी दूरी पर खड़े होंगे, ताकि किसी भी तरह के संभावित हमले को टाला जा सके.

40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं, फिर भी एफआईआर नहीं हुई, भाजपा डॉक्टरों के नहीं, अपने विधायक के साथ खड़ी है- सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली । दिल्ली के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट मामले में अभी तक भाजपा विधायक हरीश खुराना के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा डॉक्टरों से कथित मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर भी एफआईआर के लिए लिखकर शिकायत दे चुके हैं। आप विधायक कमिश्नर से इस मामले में मिलना चाहते हैं। गुरुवार से हम मिलने का समय मांग रहे हैं, मगर पुलिस कमिश्नर से बात नहीं हो पाई है । आज फिर हमने मिलने का समय मांगा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मार-पिटाई की, यह बहुत शर्म की बात है। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ अगर किसी ने हमले की कोशिश की तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पांच दिन की रिमांड पर लिया। उसके ऊपर हत्या का प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) का मुकदमा दर्ज कर दिया। दूसरी तरफ,

उसी दिल्ली में सरकारी डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने मारपीट की, मगर आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की हड़तालें हुईं और यह तय हुआ कि ऐसे मामलों में डॉक्टर नहीं इंस्टीट्यूशन यानी कि अस्पताल एफआईआर कराएगा। एमएस ने अब तक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर (संस्थान द्वारा संबंधित के खिलाफ एफआईआर) क्यों नहीं कराई हरीश खुराना के विषय में 40 से यादा डॉक्टरों ने लिखित में शिकायत की है। उसके बावजूद भाजपा और उनकी सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी है, डॉक्टर के साथ नहीं।

आम आदमी पार्टी ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है। हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा है और हम इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। उधर, बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि 21 अगस्त को दिल्ली स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी। इस घटना में मोती नगर क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ बदतमीजी एवं मारपीट की गई। संजीव झा ने कहा है कि इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है और अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर समाज का वह वर्ग है, जो निरंतर रोगियों की सेवा एवं जनहित में कार्यरत रहता है। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी प्रसारित करता है। हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया था, जिसके विरोध में न केवल उस अस्पताल और पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, बल्कि पूरे देश के डॉक्टरों ने एक लंबा देशव्यापी हड़ताल कर और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई थी। उस घटना में हम सबने यह अनुभव किया कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। संजीव झा ने कहा कि यहीं चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार यह घटना किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा की गई है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं इस प्रकार का आचरण करेंगे तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए और भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। विभिन्न डॉक्टर एसोसिएशनों ने भी इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संजीव झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया है कि दोषी व जनप्रतिनिधि पर उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। इस मारपीट की घटना के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। और डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ। संजीव झा ने कहा है कि इस विषय पर मैं एवं आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात विस्तार से रखना चाहते हैं। गृह मंत्री से अनुरोध है कि कृपया हमें शीघ्र समय प्रदान करें, ताकि इस प्रकरण पर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला... कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली।

कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य ने कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है. इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा. कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी संविधान पर हमला है.

अपील में क्या है मांग

कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का वोट चोरी अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है. चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया यह दुष्प्रचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सीधा हमला करता है.

बिहार का सियासी माहौल गर्म

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर वोट चोरी अभियान चलाने के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है. विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है. इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा. कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी संविधान पर हमला है.

भाजपा पर ये आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करके भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से 'वोट चोरी कर रही है. विपक्षी गठबंधन 'इंडिया भाजपा को लोगों से उनका मताधिकार छीनने की इजाजत नहीं देगा.

राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया था और निर्वाचन आयोग ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर एक लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ दिया था.

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि एक साफ-सुथरी मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है और उन्होंने बिहार के लोगों से अपने मताधिकार को न खोने देने का आग्रह किया, क्योंकि उनके बाकी सभी अधिकार इसी आधार पर टिके हैं.

नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दें, आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली।

गली-मोहल्ले, सोसाइटीज में घूमने वाले आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें जोड़ी हैं. तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं, उनमें से किन्हें छोड़ा जाएगा और किन्हें नहीं. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा. हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से मनाही रहेगी. न मानने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों को पकड़े जाने पर रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है. आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा. इस पर रोक नहीं लगाई गई है. सभी आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा और उनकी नसबंदी-टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे उसी इलाके में वापस छोड़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि सभी आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा. अब ताजा फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है. इसमें सभी रायों को शामिल किया है. सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे. कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाया, जो पूरे देश में लागू होगा. कहा, ये अंतरिम आदेश है. हमने कोर्ट के पिछले आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों को वैक्सिनेशन के बाद उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा, रैबिज से ग्रसित और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा

कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाए जाने पर रोक लगाई है. कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी. दिल्ली-एनसीआर के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के लिए एमसीडी यानी दिल्ली महानगरपालिका फीडिंग स्पेस बनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. ऐसा करने से लोग रोक नहीं सकते. कुत्तों को पकड़ने से रोकने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैक्सिनेशन के बाद कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे. जो डॉग लवर / गैर-सरकारी संगठन या याचिकाकर्ता सृष्ट मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए भुगतान करना पड़ेगा. किसी व्यक्ति को केस में पक्षकार बनने के लिए 25,000 रुपये, जबकि एनजीओ को 2 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त क्या लगाई है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह शर्त लगाई है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं और जिनको रेबीज है, उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा. बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका दायरा अब पूरे देश तक रहेगा.

खाना खिलाने पर कोर्ट ने क्या कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी एक लक्ष्मण रेखा खींची है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सार्वजिनक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है. इसकी लिए जगह तय की जानी चाहिए. एमसीडी इसके लिए इंतजाम करे. जो भी व्यक्ति इसका अल्लंघन करता है, तो एमसीडी इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है.

...ताकि कोर्ट न पहुंच जाएं भीड़!

आवारा कुत्तों पर लोग दो धारा में बंटे हुए हैं. एक तरफ हैं, डॉग लवर्स और दूसरी तरफ हैं- कुत्तों से पीड़ित लोग. दोनों ही तरफ से कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट, अब तक के सारे मामलों को कंपाइल कर सुनवाई करेगा और जो फैसला सुनाएगी वो देशभर में लागू होगा. कोर्ट का संदेश साफ है कि इस मामले में देशभर के अलग-अलग कोर्ट में याचिकाएं दाखिल न की जाए. इसलिए सुप्रीम ने कहा है की जो डॉग लवर या गैर-सरकारी संगठन या अन्य कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए भुगतान करना पड़ेगा. किसी व्यक्ति को केस में पक्षकार बनने के लिए 25,000 रुपये, जबकि एनजीओ को 2 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा.

हमारी आजादी की 79वीं वर्षगांठ

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कई बातों के बीच तीन बातें विशेष रूप से सामने आई। निस्संदेह, यह दिन उत्सव और उल्लास का दिन है, कृतज्ञता का दिन है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्मे और स्वतंत्रता की उस अमूल्य भावना का आनंद ले पा रहे हैं। यह वह अवसर है जब हम ठहरकर अपनी उपलब्धियों की गिनती करते हैं और राष्ट्र की प्रगति पर गर्व महसूस करते हैं। इस दिन का संबंध किसी सरकार, व्यक्ति विशेष, प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल से नहीं है और न ही यह छोटे-बड़े राजनीतिक मतभेदों का मंच है। यह दिन सामूहिक उत्सव का है, समावेशिता का है, हर सच्चे भारतीय के एकजुट होकर स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ की भावना में डूब जाने का है। यह दिन तिरंगे को सलामी देने का है, जब वह फहराया जाता है, हां, फहराया जाता है तो यह उस आज़ादी का प्रतीक बनकर लहराता है जिसके लिए लाखों ने अपना रक्त बहाया और हज़ारों ने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, पूरे 103 मिनट का। उन्होंने सुबह ठीक 7 बजकर 33 मिनट पर भाषण शुरू किया और 9 बजकर 16 मिनट पर समाप्त किया। इस संबोधन के साथ ही मोदी ने लगातार 12 बार लालकिले से भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड अभी भी उनसे काफी आगे है। नेहरू ने 1947 से 1963 तक लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार भाषण दिया, जिनमें से 11 लगातार थे। वह 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं और पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। नेहरू और इंदिरा गांधी को छोड़कर मोदी ने अब तक सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी की तरह मनमोहन सिंह ने भी लगातार 11 बार (2004 से 2014) लालकिले से भाषण दिया। जबकि अन्य प्रधानमंत्रियों की अवधि इससे छोटी रही- लाल बहादुर शास्त्री ने दो बार, मोरारजी देसाई और पी. वी. नरसिम्हा राव ने चार-चार बार और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल (1998 से 2004) में छह बार भाषण दिया। समय की दृष्टि से भी मोदी ने अपने ही रिकॉर्ड बनाए हैं। 2014 में उनका पहला भाषण 65 मिनट का था। 2015 में 85 मिनट, 2016 में 96 मिनट, 2019 में 92 मिनट और 2023 में 90 मिनट तक चला। उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में रहा सिर्फ 56 मिनट का। मोदी से पहले, सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू (1947 में 72 मिनट) और आई.के. गुजराल (1997 में 71 मिनट) के नाम था। वहीं, सबसे छोटे भाषण का रिकॉर्ड भी नेहरू और इंदिरा गांधी के पास है -क्रमशः 1954 और 1966 में सिर्फ 14-14 मिनट। मनमोहन सिंह के 2012 और 2013 के भाषण क्रमशः 32 और 35 मिनट के रहे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के 2002 और 2003 के संबोधन उससे भी छोटे, 25 और 30 मिनट के थे। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जो एक और बात विशेष रूप से सामने आई, वह थी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अनुपस्थिति। न राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे लालकिले पर दिखे। यह अनुपस्थिति राष्ट्र हित से अधिक दलगत राजनीति का प्रतीक बनी और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। राहुल गांधी लोकसभा में और खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये संवैधानिक पद हैं और इन पर आसीन नेताओं का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित रहें लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्र से ऊपर दलगत राजनीति को तवज्जो दी। यदि यह विवाद सिर्फ सीटिंग प्लान को लेकर था तो यह और भी खेदजनक है। याद कीजिए, 2024 का वह प्रसंग, जब राहुल गांधी को तथाकथित रूप से 'पीछे' की सीट दी गई थी और इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। यहां ठहरकर एक सवाल उठता है-क्या यह सीटिंग प्लान का मुद्दा है या राष्ट्रहित का? क्या किसी समारोह और वह भी स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व में शामिल होना इस तरह की छोटी बातों से कमतर हो सकता है? क्या यह इस पर निर्भर होना चाहिए कि विपक्ष को कहां बैठाया गया या सत्ता पक्ष उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? यदि कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या कोई और इस स्तर तक गिरती है तो असली राष्ट्रवादी नेता को ऐसे क्षुद्र राजनीतिक आख्यान से ऊपर उठना चाहिए। नेता का पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। भले ही खड़ा रहकर शामिल होना पड़े, फिर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र को सलाम करना है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस नेतृत्व ने इसमें कमी दिखाई और राष्ट्र को राजनीति से नीचे रखा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और अंत में, प्रधानमंत्री के भाषण की विषय वस्तु भी ध्यान खींचने वाली रही उनके अब तक के सबसे लंबे संबोधन से निकलने वाले बड़े संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 103 मिनट लंबे संबोधन में सशस्त्र बलों और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की, साथ ही जीएसटी और आयकर सुधार, रोजगार, ऊर्जा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया लेकिन सबसे बड़ा संदेश उनकी उस चेतावनी से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कथित जनसांख्यिकीय बदलाव की साजिश का ज़िक्र किया और इसे रोकने के लिए एक उच्च-स्तरीय मिशन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा-मैं देश को चेतावनी देना चाहता हूं, एक नई चिंता संकट का रूप ले रही है। सोची-समझी साजिश के तहत देश की जनसंख्या संरचना बदलने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने सख्त लहज़े में कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और युवाओं से अवसर छीन रहे हैं। उनके शब्दों में, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोज़ी-रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं। यह देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी क्रम में उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताया और कहा कि यदि दुश्मन ने हिमाकत की तो 'भारत की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक घातक होगी।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'न्यू नॉर्मल' नीति पर कायम रहेगा। आतंकवाद को उन्होंने 'मानवता का दुश्मन' बताया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैनिकों के साहस की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री के भाषण का एक और अहम हिस्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा रहा। लालकिले से सार्वजनिक तौर पर आरएसएस को 'दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ' बताते हुए मोदी ने इसके 100 वर्षों की सेवा को राष्ट्र निर्माण का 'स्वर्णिम अध्याय' करार दिया। उन्होंने कहा कि 'व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण' की संघ की प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। हालांकि, प्रधानमंत्री की इस खुली सराहना ने कई सवाल भी खड़े किए हैं।

सम्पादकीय...

उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग ने चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करके एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं। भाजपा ने बहुत सोच-समझकर उन्हें इस प्रतिष्ठित पद का उम्मीदवार बनाया है। वे तमिल हैं, पिछड़े भी हैं, संघ से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने करीबी एवं साफ-सुथरी छवि वाले राजनायक हैं। भाजपा ने जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो यह केवल राजनीतिक गणित का परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का निर्णय था, जो सादगी, ईमानदारी और सेवा की पहचान रखते हैं। उनका चयन भारतीय लोकतंत्र की व्यापकता और समावेशिता का जीवंत प्रतीक है। अब तक भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में भाजपा की जड़ें अपेक्षाकृत कमजोर और सबसे बड़ी चुनौती रही है। उत्तर और पश्चिम भारत में लगातार सफलता के बाद पार्टी चाहती है कि दक्षिण के राज्य भी उसके प्रभाव में आए। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वहां भाजपा के शीर्ष चेहरों में गिने जाते हैं। उनका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनना भाजपा की यह घोषणा है कि वह दक्षिण भारत को अब हाशिए पर नहीं, बल्कि सत्ता की मुख्यधारा में लाना चाहती है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के मजबूत संगठनकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन उत्तर भारत के भाजपा के राजनीतिक गलियारे में राधाजी के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु की कोयंबटूर लोकसभा सीट से 1998 और 1999 के आम चुनावों में भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए सीपी राधाकृष्णन ने स्कूली जीवन से ही आरएसएस का दामन थाम लिया था। हालांकि एक दौर में वे तमिल राजनीति में अन्नाद्रमुक के करीब माने जाते थे। उनके तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मधुर संबंध हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में डीएमके भी उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना कठिन हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद पर उनका चयन ओबीसी समाज को सम्मान और सशक्तिकरण का नया संदेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार इस वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया है। राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की नीति को बल दिया है। राधाकृष्णन का चयन इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे भाजपा को देशभर में ओबीसी समाज का और अधिक समर्थन मिल सकता है। इससे भाजपा की सामाजिक आधारशिला और मजबूत होगी। भाजपा अपने निर्णयों से हमेशा करिश्मा घटित करती रही है, अपने चतुराई का परिचय देती रही है, सी.पी. राधाकृष्णन का चयन भाजपा की इसी रणनीतिक चतुराई का ही बड़ा उदाहरण है। इससे पार्टी ने एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं, दक्षिण भारत में पैठ बनाना, ओबीसी समाज को साधना, विपक्ष को असहज करना और साफ-सुथरी राजनीति का संदेश देना। यह तय है कि उपराष्ट्रपति के रूप में वे न केवल भाजपा बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए सफल नायक सिद्ध होंगे। यह एक संयोग ही कहा जायेगा कि देश के शीर्ष दो पदों पर विराजमान हस्तियों का नाता झारखंड से रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने से पहले झारखंड की राज्यपाल रहीं और देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे सीपी राधाकृष्णन भी इस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। इन दिनों वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वे झारखंड के साथ ही तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। मोदी-शाह का उन पर बड़ा भरोसा रहा है, क्योंकि उन्हें एक समय एक साथ तीन-तीन राज्यों के राज्यपालों की जिम्मेदारी थमाई गई थी। अभी उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे ही भरोसेमंद, निष्ठाशील एवं जिम्मेदार व्यक्ति की ही तलाश थी। उपराष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी करते है। राधाकृष्णन का अध्ययनशील स्वभाव, शालीन व्यवहार और संतुलित दृष्टिकोण भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करेगा। उनका व्यक्तित्व भारत की परंपरा, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करेगा। भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा के सभापति ही नहीं होते, बल्कि सर्वदलीय संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक भी होते है। राधाकृष्णन का सौम्य व्यक्तित्व, धैर्य और संवाद क्षमता उन्हें इस भूमिका में और अधिक सफल बनाएगी। विपक्षी दलों के लिए भी उनकी छवि स्वीकार्य है, जो संसद की कार्यवाही को संतुलित बनाए रखने में सहायक होगी। सी.पी. राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद पर चयन भारतीय लोकतंत्र की उस विशेषता को रेखांकित करता है, जिसमें सादगी और सेवा जैसे गुण सर्वोपरि माने जाते हैं। वे न केवल दक्षिण भारत और ओबीसी समाज का सम्मान हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए आशा और संतुलन का चेहरा हैं। निश्चित रूप से वे उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हुए आने वाले वर्षों में एक आदर्श और प्रेरक नायक सिद्ध होंगे। जैसाकि पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे आदर्श नायक हैं। वैसे भी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन के बीच कुछ उल्लेखनीय समानताएं दिखाई देती हैं। भले ही दोनों की पृष्ठभूमि अलग हो, एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनयिक रहे, तो दूसरे राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, फिर भी उनके व्यक्तित्व में कई साझा बिंदु हैं जैसे दोनों का नाम 'राधाकृष्णन' है, जो भारतीय संस्कृति में श्रीकृष्ण से जुड़ी भक्ति, ज्ञान और नीति का प्रतीक है। दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय परंपरा और मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को विश्वपटल पर प्रतिष्ठा दिलाई और शिक्षा जगत को नई दिशा दी। सी.पी. राधाकृष्णन ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सेवा, ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए ख्याति अर्जित की। डॉ. राधाकृष्णन जीवन भर शिक्षक रहे और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार माना। सी.पी. राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन भी शिक्षा, नैतिकता और संस्कारों की धरती पर खड़ा है। वे स्वच्छ छवि और सादगी के लिए जाने जाते हैं। दोनों का जीवन साधारण परंतु ऊँचे आदर्शों से जुड़ा रहा। किसी प्रकार का दुराचार या विवाद इन दोनों के जीवन में नहीं जुड़ा, जो आज के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बहुत दुर्लभ है। डॉ. राधाकृष्णन को दार्शनिक-राजनेता के रूप में विश्वभर में सम्मान मिला। सी.पी. राधाकृष्णन को जनता का भरोसा, सरल व्यवहार और समाज में उनकी स्वीकार्यता ने एक सम्मानित नेता बनाया। डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को स्थापित किया। सी.पी. राधाकृष्णन भी राजनीति में समन्वयकारी, सर्वसमावेशी और राष्ट्रहित की सोच को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही भारतीय मूल्यों, ईमानदारी और राष्ट्र-सेवा के प्रतीक माने जा सकते हैं। राजनीति में सी.पी. राधाकृष्णन की पहचान एक स्वच्छ और सादगीपूर्ण नेता की है। वे कभी भी विवादास्पद राजनीति का हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने संगठन कौशल, जनता से जुड़ाव और सेवाभाव से अपनी अलग जगह बनाई। सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण उनका व्यक्तित्व सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा।

ऑनलाइन गेमिंग पर हंटर

ऑनलाइन गेमिंग आज के डिजिटल युग का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसा मंच है जहां इंटरनेट के माध्यम से एक-दूसरे खिलाड़ी के साथ खेल सकते हैं। युवाओं और बच्चों के बीच ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कद्र बढ़ चुकी है जिससे यह उनके जीवन का सिद्धांत बनता दिखाई दे रहा है। रियल गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। वास्तविक खेलों में शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा दिया जाता है जबकि ऑनलाइन गेम्स में शारीरिक व्यायाम की कमी होती है। यह केवल मानसिक लक्ष्य प्रदान करता है। ऑनलाइन गेमिंग की आदतें, मूल्यों के अध्ययन और प्रतिभा पर नकारात्मक प्रभाव तो डाल ही रही है, इसके अलावा डिप्रेशन, चिंता और सामाजिक समसामयिक जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। हर साल करीब 45 करोड़ लोग पैसे से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग में 20 हजार करोड़ रुपए गंवाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के कारण लोगों के बर्बाद होने और आत्महत्या करने की खबरें पूरे देश से आती रही हैं। भारत में लगभग दो-तिहाई सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है और युवा पीढ़ी इतनी डिजिटल फ्रेंडली है कि शौक-शौक में खेलते हुए वह ऑनलाइन गेम के दलदल में कब फंस जाते हैं पता नहीं चलता। यहां तक कि 10-15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भी इसका नशा हो चुका है। रातोंरात मालामाल होने चक्र में यह फंस जाते हैं जिससे निकलना आसान नहीं होता। 2016 में जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 20 लाख थी। 2027 तक यह संख्या बढ़कर 50 करोड़ होने की भविष्यवाणी की जाती रही है। कई बैटिंग एप्स हैं जिन पर लोग लाखों करोड़ रुपए लुटा रहे हैं। इन बैटिंग एप्स और गेमिंग एप्स के विज्ञापनों से अंधाधुंध कमाई करने के लिए फिल्म स्टार और क्रिकेट के दिग्गज युवाओं को जुए के दलदल में धकेल रहे हैं। मनी गेमिंग प्रवृत्ति समाज के लिए गम्भीर खतरा बन चुकी है। इसलिए राजस्व की हानि की चिंता किए बिना सरकार ने लोगों के हित को प्राथमिकता देते हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित कर दिया है। विधेयक के कानून बनने पर पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। लोग गुगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन गेमिंग एप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। विधेयक में गेम खेलने वालों को नहीं बल्कि उनको खिलवाने वालों को सजा होगी। पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम खेलने वालों को सजा नहीं होगी।

जो लोग इस प्रकार का गेमिंग एप संचालित करेंगे, उनके लिए एक करोड़ तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रविधान किया गया है।इस प्रकार के गेमिंग एप का विज्ञापन करने वाले स्टार को दो साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरित करने से रोकने का नियम बनाया गया है। पैसे से जुड़े गेम में वित्तीय लेन-देन की सुविधा देने वालों को एक करोड़ के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है। बार-बार अपराध करने पर तीन से पांच साल की कैद और दो करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रमुख धाराओं के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2023 में पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया था। अब ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध के चलते सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होगा लेकिन सरकार ने राजस्व की चिंता किए ,बिना लोगों को बर्बादी से बचाने के लिए सराहनीय पहल की है। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार वर्तमान में 3.8 अरब डॉलर का है। अब इस कारोबार का नुकसान होगा और नौकरियां भी जाएंगी। क्योंकि एक तरह से खेल जुआ और सट्टेबाजी है, इसलिए इसे रोकना भी जरूरी था। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग धन शोधन, धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय लेन-देन और साइबर अपराध जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि इस तरह के मंचों पर कड़ी निगरानी परनियमन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 2021 में कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। कर्नाटक जैसे राज्य में जहां बैंगलुरु जैसा आईटी हब हो उसने राज्य के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई थी। कर्नाटक से पहले तेलंगाना और आंध्र में भी प्रतिबंध लगाया जा चुका था। चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध से ऑनलाइन गेमिंग एप्स में निवेश करने वाली कम्पनियां अब नाम बदल-बदल कर सामने आ सकती हैं। आने वाले दिनों में प्रतिबंधित साइट्स को लोग बदले हुए नामों से देख सकते हैं। हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी भ्रमित न हो, इसके? लिए उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है। सरकरा का कहना है कि वह बिना पैसे के खेले जाने वाले ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करेगी। अभिभावकों को भी अपने बच्चों को सही दिशा दिखानी होगी। जब तक हम नैतिक रूप से ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहने का संकल्प नहीं लेते तब तक प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। नई पीढ़ी की रुचि खेलों के प्रति पैदा करनी होगी। वह अपना कीमती समय और धन बचा सकें। इसके लिए खुले मैदानों में खेले जाने वाले खेलों को गांवों से लेकर महानगरों तक प्रमोट करना होगा। देशवासियों को आगे आकर बच्चों के भविष्य को संवारना होगा।

जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में बदलाव लाने की जो घोषणा की है, वह बेहद महत्वपूर्ण है। इस सुधार को प्रधानमंत्री ने उचित ही 'नेक्स्ट जैनरेशन जीएसटी' बताया है। वर्ष 2017 में लागू की गयी वस्तु एवं कर सेवा को और सरल बनाने की इस प्रक्रिया के तहत जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब में से 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटा दिये जायेंगे तथा पांच व 18 फीसदी के दो ही स्लैब रहेंगे। इससे 12 फीसदी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स जैसी वस्तुएं पांच फीसदी के दायरे में आ जायेंगी, तो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुएं 18 फीसदी के स्लैब में आ जायेंगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव सामयिक और समयानुकूल हैं। सरकार का दावा है कि इससे मध्यम वर्ग और व्यापारिक समुदाय को लाभ होगा। 12 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत कर दर में और 28 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल 90व वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर दर में बदलने से अधिकांश उपभोक्ताओं पर कर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। स्लैब की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और समान उत्पादों को एक ही स्लैब में स्थानांतरित करने से अस्पष्टता और मुकदमेबाजी भी कम होगी जो वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में व्यवसायों के लिए प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा, जहां अधिकांश ध्यान दरों के पुनर्गठन प्रस्तावों पर केंद्रित है, वहीं पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड से संबंधित प्रक्रियात्मक सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीएसटी को सरल बनाने का मतलब केवल दरों की बहुलता को कम करना ही नहीं है, बल्कि करदाताओं के लिए प्रणाली को समझना आसान और कम समय लेने वाला बनाना भी है। इसलिए पंजीकरण को आसान बनाना, रिटर्न को सरल बनाना और रिफंड में तेजी लाना केंद्र द्वारा किए जा रहे स्वागत योग्य सुधार हैं। नए आयकर विधेयक और इस वर्ष के बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल के साथ ये जीएसटी सुधार 2025 को कर सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में उजागर करेंगे। साबुन, तेल, रेडीमेड गारमेंट, जूते पर टैक्स मौजूदा 12 प्रतिशत से घटकर पांच फीसदी होने से भी आम लोगों को राहत मिलेगी। इससे छोटी कारें भी सस्ती हो सकती हैं। लोगों की मांग थी कि स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18 फीसदी टैक्स को कम करके पांच फीसदी किया जाये जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत और बीमा उद्योग को बढ़ावा मिले। आगामी सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार यह प्रस्तावित बदलाव कर सकती है। दो स्लैब हटाने से राजस्व में करीब 4,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है लेकिन खपत बढ़ने से राजस्व में इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। वर्तमान में सभी यात्री वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ इंजन क्षमता, लंबाई और बॉडी प्रकार के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का क्षतिपूर्ति उपकर लगता है जिससे कुल देय कर 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत कर लगता है, जिसमें कोई क्षतिपूर्ति उपकर नहीं लगता है। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत है।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025- युवाओं की सुरक्षा और समाज की ज़िम्मेदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

भारत एक युवा देश है।यहाँ की आधी से अधिकआबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और इस युवा शक्ति को ही नवभारत का भविष्य कहा जाता है। परंतु यही युवा आज एक ऐसे जाल में फसते जा रहे है जो मनोरंजन के नाम पर धीरे-धीरे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंधकार की ओर धकेल रहा है। वह जाल है ऑनलाइन गेमिंग का अनियंत्रित विस्तार। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुलभता ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विशाल बना दिया है। आज स्थिति यह है कि लगभग 50 करोड़ भारतीय युवा किसी-न-किसी रूप में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। इनमें से लाखों युवा इसकी लत के शिकार हो चुके है।इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में प्रस्तुत किया जो पास हो गया।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि पिछले दस वर्षों में भारत में इंटरनेट उपयोग कर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सस्ते स्मार्टफोन और डेटा पैक की वजह से आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। इस इंटरनेट क्रांति का एक सबसे बड़ा प्रभाव ऑनलाइन गेमिंग के रूप में सामने आया। पीयूबीजी, फ्री फायर,बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी और विभिन्न फैंटासिट स्पोर्ट्स जैसे गेम युवाओं में इस कदर लोकप्रिय हो गए कि वे पढ़ाई, खेल-कूद और सामाजिक जीवन से दूर होकर वर्चुअल दुनियाँ में खोते चले गए। 20 अगस्त 2025 को देर शाम केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने संसद भवन के बाहर कहा कि यह कानून इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ने करोड़ों युवाओं को अंधकार में डाल दिया है और समाज से बड़े पैमाने पर फीडबैक प्राप्त हुआ कि अब इसे नियंत्रित करना ही पड़ेगा, आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट्स है।पहला- ई-स्पोर्ट्स, दूसरा- ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा- ऑनलाइन मनी गेमिंग।इस बिल के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। इसके द्वारा एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए सही नहीं है। कुछ गेम्स ऐसे है, जिनमें परिवार की जिंदगीभर की बचत ऑनलाइन गेम में चली जाती है। साथियों बात अगर हम डब्ल्यूएचओ द्वारा गेमिंग डिसऑर्डर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या व भारत सरकार ने इस समस्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा मानते हुए हस्तक्षेप करने की करें तो,विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में ही गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में शामिल किया था। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऑनलाइन गेम में इतना डूब जाए कि उसके पढ़ाई-लिखाई,रोजगार नींद, खान-पान, सामाजिक संबंध और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़े, तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है।भारत में भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहाँ बच्चे और किशोर ऑनलाइन गेम हारने के बाद तनाव, डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर बैठे। माता-पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे मोबाइल स्क्रीन से अलग नहीं हो पा रहे, नींद पूरी नहीं हो रही, आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, और पैसे खर्च करने की आदत भी नियंत्रण से बाहर जा रही है।इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने इस समस्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा मानते हुए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। साथियों बात अगर हम,इस कानून को जरूरी बनाने वह बिल की मुख्य बातों की करें तो, (1) युवा पीढ़ी पर खतरा-लगभग 50 करोड़ युवा ऑनलाइन गेम्स की लत में है। यह संख्या भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है।(2) आर्थिक शोषण-इन-ऐप परचेज और कैश रिवॉर्ड्स ने युवाओं को आर्थिक रूप से शोषित किया। कई परिवार कर्ज में डूबे। (3) अपराध की घटनाएँ- कई राज्यों में देखा गया कि बच्चे चोरी या अपराध की राह पर चल पड़े ताकि वे गेमिंग के लिए पैसे जुटा सकें। (4) स्वास्थ्य संकट- मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आँखों और शरीर से संबंधित रोगों का प्रसार। (5)सामाजिक असंतुलन- युवाओं का वास्तविक जीवन से कटना और वर्चुअल दुनिया में गुम होना। (6) फीडबैक का दबाव- समाज से व्यापक स्तर पर सुझाव मिले कि सरकार को इस पर नियंत्रण करना ही होगा।प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की मुख्य बातें (1) गेम्स की कैटेगरी तय होगी-कौन सा गेम स्किल-बेस्ड है और कौन सा चांस-बेस्ड,यह सरकारनिर्धारित करेगी। (2)लाइसेंस प्रणाली- बिना सरकारी अनुमति के कोई भी कंपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं चला सकेगी। (3)आयु सीमा-नाबालिगों (18 साल से कम) के लिए कई तरह की रोक लगाई जाएगी। (4) समय सीमा-गेम खेलने की अधिकतम समय सीमा तय होगी ताकि युवा पूरी रात ऑनलाइन गेम न खेलें। (5) वित्तीय नियंत्रण- ऑनलाइन गेम्स में निवेश और इन-ऐप परचेज पर कड़ा नियमन। साथियों बात अगर हम सरकार के साथ संदेश की करें तोसरकार ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करना चाहती, बल्कि उसे विनियमित (रेगुलेट) करना चाहती है ताकि यह उद्योग भी चले और युवाओं की सेहत भी सुरक्षित रहे।समाज की जिम्मेदारी और नागरिकों की भूमिका,कानून अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज और परिवार भी जागरूक हों। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाएँ, और युवाओं को भी समझना चाहिए कि जीवन केवल वर्चुअल गेम्स तक सीमित नहीं है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल युवाओं को अंधेरे से बाहर निकालने का प्रयास है बल्कि यह संदेश भी है कि भारत सरकार नागरिकों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है।इस कानून से यह स्पष्ट है कि भारत केवल डिजिटल शक्ति बनने की दिशा में ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार डिजिटल समाज बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों बात अगर हम ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने की करें तो, हमारे देश में कैसीनो पर तो बैन है, लेकिन मोबाइल फोन में करोड़ों कैसीनोस चल रहे है और अब उसपर एक बिल पास करवाकर पाबंदी लगाई जाएगी। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी ऑनलाइन गेम्स,जिसमें लोग पैसा लगाते है और जीतने पर पैसे कमाते है, उनपर रोक लग जाएगी। ऐसे गेम्स को ऑनलाइन मनी गेम्स कहते हैं। इस बिल में 4 बड़ी बातें है। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स को सर्विस देना, उसे चलाना और यहां तक कि प्रचार करना भी गैरकानूनी होगा। दूसरा अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मिल सकती है। तीसरा,ऐसे गेम्स खेलनेवालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों,इनका विज्ञापन करने वालों या आर्थिक मदद देने वालों को होगी।और चौथा,गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने केलिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। जो ये तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से है। और बिना पैसे वाले गेम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसमें खिलाड़ी अकेले या फिर टीम के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते है। इस बिल के दायरे में स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों है। स्किल बेस्ड गेम्स जैसे शतरंज और रम्मी में लोगों के स्किल्स यानी कौशल और रणनीति पर उस गेम का नतीजा निर्भर करता है। और चांस बेस्ड गेम्स जैसे लॉटरी में नतीजा किस्मत या संयोग पर निर्भर करता है।इसमें खेलने वालों के कौशल का असर बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। और कई देशों में इसे गैम्बलिंग यानी जुआ माना जाता है। आईटी मंत्री ने कहा है कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है। लेकिन जब उद्योग के मुनाफे और समाज के हितों में टकराव हो, तो मोदी सरकार हमेशा समाज का पक्ष लेगी।आपने बड़े-बड़े फिल्मस्टार्स और खिलाड़ियों को ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करते देखा होगा। क्रिकेट और बाकी खेलों के कई ऐसे मोबाइल अप्प्स है, जिसमें पैसे लगाकर टीम बनानी होती है। और विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ 50 या 60 रुपए लगाकर आपकरोड़ों रुपए जीत सकते है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025- युवाओं की सुरक्षा और समाज की ज़िम्मेदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदमऑनलाइन मनी गेम की सर्विस देना, संचालन करना, प्रचार करना गैरकानूनी होगा-सरकार का चलेगा चाबुक-3 साल की सजा,एक करोड़ जुर्मानाकानून अपनी जगह जरूरी है,लेकिन समाज,परिवार माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाएँ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

ई-भूमि नीति बनी किसानों की जीवनरेखा

चंडीगढ़ ।

पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि ई-भूमि नीति के अंतर्गत किसानों की इच्छा के विरुद्ध एक इंच भी भूमि कभी अधिग्रहित नहीं की गई है। सरकार ने जोर देकर कहा कि यह नीति न केवल पारदर्शी है बल्कि उन किसानों के लिए वरदान है, जो सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से अपनी भूमि बाज़ार दरों पर बेचना चाहते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ई-भूमि (सरकारी विकास परियोजनाओं हेतु स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराने की नीति) पहली बार वर्ष 2017 में अधिसूचित की गई थी और 9 जुलाई, 2025 को संशोधित की गई। इसने वर्ष 2013 के केंद्रीय अधिनियम के तहत होने वाले विवादित अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले की व्यवस्था में किसान अक्सर खुद

ई-भूमि नीति पारदर्शिता और स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित

को बेदखल महसूस करते थे, जबकि वर्तमान नीति पूरी तरह किसान की सहमति पर आधारित है। प्रवक्ता ने कहा कि ई-भूमि नीति पारदर्शिता और स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पुरानी प्रणाली के विपरीत ई-भूमि नीति किसानों को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देती है। किसान चाहें तो सरकार को अपनी भूमि बाज़ार मूल्य पर बेच सकते हैं, भूमि पूलिंग के माध्यम से विकसित भूखंड ले सकते हैं या फिर बाय-बैक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत वे तीन वर्ष बाद प्रचलित दर पर भूखंड हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को पुनः बेच सकते हैं। यह आपसी सहमति है, थोपने की प्रक्रिया नहीं है। संभवतः पहली बार किसान विकास परियोजनाओं के निर्माण में सच्चे भागीदार बने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी कॉलोनाइज़र, डेवलपर या उद्योगों के लिए भूमि क्रय की अनुमति नहीं है। भूमि केवल सार्वजनिक उद्देश्य हेतु स्वीकार की जाती है, चाहे वह राज्य स्तरीय अवसंरचना हो या केंद्र सरकार की परियोजनाएँ। यह प्रावधान किसानों की उस लंबे समय से चली आ रही शिकायत को दूर करता है कि उनकी भूमि निजी मुनाफ़े के लिए इस्तेमाल हो रही थी। किसानों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सरकार ने लैंड एग्रीगेटर्स की व्यवस्था शुरू की है, जो किसानों को पोर्टल पर भूमि विवरण निःशुल्क अपलोड करने में मदद करते हैं। अब तक 353 एग्रीगेटर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। किसान स्वतंत्र रूप से भी अपनी भूमि का विवरण और मूल्य पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार अब तक किसानों ने स्वेच्छा से 1,850 एकड़ भूमि पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर सरकार ने छह नई परियोजनाओं के लिए 35,500 एकड़ भूमि की मांग हेतु नए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 तय की गई है और पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों की सहमति मिल रही है। इस नीति ने किसानों को जबरन अधिग्रहण के भय से मुक्त कर दिया है।

आज किसान स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि अपनी भूमि के साथ क्या करना है, और वे यह निर्णय पारदर्शी व गरिमामय तरीके से ले रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत में ई-भूमि मॉडल अद्वितीय है, क्योंकि इसमें न्यायसंगत बाज़ार मूल्यांकन और स्वैच्छिक भागीदारी का मेल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास किसानों के अधिकारों को प्रभावित ना करे। किसानों को पीड़ित की बजाय भागीदार बनाकर हरियाणा ने भूमि नीति में एक नया मानक स्थापित करने का प्रयास किया है।

डी.आर.डी.ए. डॉ0 किरण सिंह ने ली समालखा विधान सभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों व परियोजनाओं के सम्बन्ध में बैठक

पानीपत। शुक्रवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डी.आर.डी.ए. डॉ0 किरण सिंह ने समालखा विधान सभा क्षेत्र (जिसमें खण्ड समालखा, बापौली एवं सनौली खुर्द आते हैं) में चल रहे विकास कार्यों व परियोजनाओं के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में सी.एम, अनाऊन्समेंट, एच.आर.डी.एफ., ई-लाइब्रेरी, जिम, महिला सांस्कृत केन्द्र, व्यामशाला, एच.जी.वी.वाई., वी.ए.एन.जी.वाई., एस.ए.जी.वाई., पी.एम.ए.जी.वाई., एम.पी.एल.ए.डी.एस., प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, खेत खलिहान आदि विकास कार्यों परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला परिषद सीईओ डॉ. किरण सिंह ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों से उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों के सम्बन्ध में प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा की तथा उनको निर्देश दिए कि उनके अधीन जो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए है उनको शीघ्र अति शीघ्र शुरू करवाया जाए तथा जो कार्य लम्बे समय से लम्बित है उनको अविलिम्ब पूर्ण करवाया जाये। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा की उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत चल रहे कार्यों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन रूकावट या परेशानी आ रही है तो उनका समाधान करते हुए कार्यों को अविलम्ब पूर्ण करें।

शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी और लाए तेजी : उपायुक्त डॉ. विरेंद्र कुमार दहिया

उपायुक्त ने समाधान शिविर से जुड़ी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

निगम अतिरिक्त आयुक्त ने सभी विभागों की शिकायतों का ब्यूरो उपायुक्त के समक्ष रखा

पानीपत।

जिला सचिवालय सभागार मे शुक्रवार को उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ पिछले दिनों समाधान शिविर में दर्ज हुई शिकायतों के समाधान की प्रगति जानने को लेकर समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि समस्याओं का निस्तारण अधिकारियों के द्वारा होना है वे इसमें समय ना लगाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह स्वयं समाधान शिविर की प्रगति पर अपडेट ले चुके हैं। यही नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जुड़ कर संज्ञान ले चुके है । उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को समाधान शिविर में दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर और गम्भीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने जिन विभागों की पेंडेंसी बचती है उन्होंने जल्द से जल्द दूर करने व एटीआर की क्वालिटी चैक करने के भी निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं इनमें जो शिकायतें आम जन द्वारा दर्ज की गई हैं उनकी बारिकियों को समझ कर उन पर कार्य करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि उनका ध्येय जिले के नागरिकों को शिकायतों से मुक्त करना है। वे समस्या मुक्त पानीपत देखना चाहते हैं। यह सब अधिकारियों की ईमानदारी पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर से जुड़ी शिकायतों का हमें तत्परता से समाधान करना है। समीक्षा बैठक में नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने जिन विभागों की समाधान शिविर से संबंधित समस्याएं बचती हैं उनके समाधान न होने का कारण जाना व तत्परता से समाधान करने के निर्देश दिए। निगम अतिरिक्त आयुक्त ने जिन विभागों की समस्याएं का निस्तारण नही हो पाया। एक-एक करके विभागों के अध्यक्षों से कारण जाना व निर्देश दिए कि जितना जल्दी हो सके शिकायतों का समाधान करें। इस मौके पर पानीपत एसडीएम मनदीप कुमार, इसराना एसडीएम नवदीप नैन, सीईओ जिला परिषद डॉ. किरण सिंह, नगराधीश टिनू पोशवाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश शर्मा, डीएसपी सतीश वत्स, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता कारण बहल, पशुपालन विभाग की एसडीओ डॉ श्री भगवान, बीईओ मनीष गुप्ता, मत्स्य विभाग अधिकारी मदन मोहन, डीपीओ परमिंदर कौर के अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मानसून सत्रः अब 27 तक चलेगा सेशन, विज बोले- कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, कोई किसी को नेता नहीं मानते

चंडीगढ़ ।

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त यानी आज से शुरू हो गया है। सत्र की संभावित तारीख 22, 25 और 26 अगस्त तक होना था। लेकिन अब इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सेशन 27 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन के सत्र के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ यह तय होता है कि सदन की कार्यवाही कैसे और कितने समय तक चले। इसे एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। इसमें सभी दलों के नेता मौजूद थे। यह (विधानसभा सत्र) 27 तारीख तक जारी रहेगा। अनिल विज ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष को मुद्दे उठाने की आजादी है, हमारे पास हर मुद्दे का जवाब है। इसके साथ ही विज ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक दल नहीं है। कांग्रेस में कोई किसी को नेता नहीं मानता, कोई किसी की सुनता नहीं है। यही वजह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वे विपक्ष के नेता पर फैसला नहीं कर पाए। शुक्रवार सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लिया। इसके साथ ही विपक्ष से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। बैठक में ही तय हुआ कि सत्र का समय एक दिन बढ़ाया जाए। हालाँकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार शाम को ही भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार भी सैनी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के पास विपक्ष के सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी रहने वाली है। विपक्ष ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व स्पीकर व कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। आए दिन हत्याएं, रेप और रंगदारी की खबरें आ रही हैं। इसलिए सारे काम रोक कर सरकार से पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों व विधायकों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि सैनी सरकार संविधान के खिलाफ चल रही है।

अभी तक दो विधेयक सूचीबद्ध और 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने बताया, सत्र के लिए अभी तक 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक अति आवश्यक प्रस्ताव आया है। जो बिल सूचीबद्ध किए गए हैं, उनमें पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां बढ़ाने और विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का विधेयक सूचीबद्ध किया जा चुका है।

फसल अवशेष को जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन : उपायुक्त डॉक्टर विरेन्द्र कुमार दहिया

पानीपत।

हम सब की खुशहाली के लिए धान की पराली के अवशेष किसी भी सूरत में ना जलाए। पराली किसान की स्वयं की पूंजी है इस पर ध्यान देना होगा। पराली न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे रोकने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए उपायुक्त ने सभी उप मंडल अधिकारियों, कृषि विभाग, पंचायत विभाग और कई अन्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि हालांकि अभी फसल आने में समय है लेकिन हमें पहले से ही इसकी पुख्ता तैयारी करने की जरूरत है। उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए की वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें एक भी जगह पराली नहीं जलानी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि जिला के पास 39 बेलर है। विभाग को 30 और बेलरो के लिए लिखा गया है। जरूरत 185 बेलर की है। विभाग को इसके लिए भी लिखने के विभाग को निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि डीडीपीओ सभी गांव में पटवारी व ग्राम सचिवों के माध्यम से मुनादी करना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा पराली ना जलने वालों को 5 हजार तक की राशि दी जाती है। किसानों को सरकार की इस योजना का भी लाभ लेना चाहिए। विभाग किसानों को इसके लिए एक रणनीति बना कर मोटिवेट करना सुनिश्चित करे। कृषि विभाग को अभी से मशीनों की व्यवस्था करनी होगी ताकि किसानों को पराली अवशेष को जलाने की नौबत ही ना आए। इस पर सख्ती से कार्य करने की जरूरत है। उपायुक्त ने किसानों को आग्रह किया कि जो किसान पराली जलाने का कार्य करेंगे उन पर जुर्माना तो लगेगा ही एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में अलग से सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वो अति शीघ्रता से आद्रतियों की मीटिंग ले व उन्हें पराली से संबंधित जानकारी देते रहे। उन्हें बताएं जो किसान परली जलाते हैं उनकी फसल खरीदी नहीं जाएगी व निर्देशों का पालन ना करने पर आद्रतियों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन किसानों को बेलर भी उपलब्ध कराएगा। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि बेलरों की स्थिति को जाने व उसकी रिपोर्ट तैयार करके अवगत कराए। उपायुक्त ने स्थानीय ग्राम स्तर पर निगरानी समिति के माध्यम से अवशेष जलाने पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम कर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए की वो बच्चों को पराली न जलाएं अभियान का हिस्सा बनाये, ताकि वे अपने माता-पिता को जागरूक कर सकें। उपायुक्त ने निर्देश दिए की विभाग द्वारा किसानों को दिखाया जाए कि कैसे वे पराली से जैविक खाद बना सकते हैं, जो मिट्टी के लिए लाभकारी है। विभाग के उपनिदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि जिले का कुल क्षेत्र 2 लाख 40 हजार एकड़ है। एक लाख 84 हजार एकड़ में धान की खेती की गई है। एक लाख 69 हजार में बासमती लगाई गई है। 15 हजार एकड़ में नॉन बासमती और 1,03 हजार एकड़ में मैन्युअल हार्वेस्ट और 81 हजार एकड़ में कंबाइन हार्वेस्ट है। उपनिदेशक ने उपायुक्त को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा व पराली जलाने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। बाद में सभी उपमंडल अधिकारियों ने बैठक कर एक रणनीति बनाकर कार्य करना सुनिश्चित किया। इस मौके पर एसडीएम मनदीप सिंह, समालखा एसडीएम अमित कुमार, इसराना एसडीएम नवदीप नैन, कृषि विभाग के उपनिदेशक आत्माराम गोदारा, तकनीकी अभियंता सुधीर, जिला शिक्षा अधिकारी सौरभ शर्मा आदि मौजूद रहे।

अगस्त में जमकर बारिश लेकिन दिल्ली में उमस ने किया हाल बेहाल, टूटा 17 सालों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। दिल्ली इस साल मौनसून का कुछ अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. अगस्त महीने के मध्य तक ही राजधानी में इस बार उतनी बारिश हो चुकी है, जितनी आमतौर पर पूरे साल में होती है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों में अगस्त में इतनी अधिक वर्षा पहले नहीं दर्ज की गई थी. बावजूद इसके दिल्लीवासियों को चिपचिपी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, एक जून से 18 अगस्त तक दिल्ली में औसत आर्द्रता 76.5 प्रतिशत रही. यह 2008 के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तर है. सामान्य परिस्थितियों में मॉनसून के दौरान राजधानी की औसत आर्द्रता लगभग 67.2 प्रतिशत रहती है. खास बात यह रही कि 14 से 18 अगस्त तक उमस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और औसत आर्द्रता 89.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो सामान्य से लगभग सवा गुना अधिक है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार उमस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मॉनसून की शुरुआत के महीने जून और जुलाई रहे. जून में आर्द्रता 1973 के बाद तीसरे स्थान पर रही, जबकि जुलाई में यह दूसरे नंबर पर दर्ज की गई. अगस्त के शुरुआती दिनों में स्थिति कुछ बेहतर रही, लेकिन 14 से 18 अगस्त के बीच अचानक नमी का स्तर इतना बढ़ा कि पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छूट गए. जुलाई और अगस्त परंपरागत रूप से दिल्ली के सबसे अधिक बरसाती महीने माने जाते हैं. इस बार जुलाई में सिर्फ आठ और अगस्त में अब तक चार दिन ही ऐसे रहे जब बारिश नहीं हुई. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि लगातार वर्षा से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ी. जब बरसात तेज होती है, तो तापमान नीचे आता है, लेकिन हल्की या रुक-रुक कर होने वाली बारिश के बाद बनी हुई नमी उमस को असहनीय बना देती है. दिल्ली में

भले ही जून में 19 दिन बारिश नहीं हुई थी, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के जल्दी सक्रिय हो जाने से यहां की नमी का प्रवाह दिल्ली की ओर बढ़ा. मॉनसून आधिकारिक रूप से 29 जून को राजधानी पहुंचा और इसके बाद से लगातार बारिश ने शहर को भिगोए रखा. इस बीच नमी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहा. बीते गुरुवार को भी दिल्ली उमस भरी गर्मी से बेहाल रही. कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन इससे राहत नहीं मिल सकी. अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर दिन भर 64 से 89 प्रतिशत के बीच बना रहा. दिल्ली आज (शुक्रवार) भी बारिश हो रही है. इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर सुबह साढ़े आठ बजे 80 प्रतिशत रहा और पिछले 24 घंटे में 0.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 98 दर्ज किया गया, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि राहत भरी ठंडक अभी दूर है और राजधानीवासियों को उमस भरे मौसम का सामना कुछ दिन और करना पड़ सकता है.

मतदाता सूची से बाहर लोग आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों से कर सकते हैं आवेदन

- आधार कार्ड वेरीफिकेशन दस्तावेज के रूप में मान्य : सुप्रीम कोर्ट
- एसआईआर पर सुनवाई- हटाए गए वोटर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे
- सुप्रीम कोर्ट बोला- राजनीतिक पार्टियां लोगों की मदद करें

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, वे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड के साथ ही 11 अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों के नामों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर हैरानी जताई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 85 हजार नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए अभी तक सिर्फ दो आपत्ति दर्ज कराई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति खुद से या राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उन्हें भौतिक तौर पर फार्म जमा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आवेदन में फार्म 6 के साथ आवेदक आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार की सभी 12 राजनीतिक पार्टियों को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करने चाहिए कि वे लोगों की मदद करें, उन्हें जागरूक करें, ताकि लोग मतदाता सूची से नाम कटने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन कर सकें। पीठ ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों की ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद की। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को तय की है। पीठ ने चुनाव अधिकारियों से ये भी कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा आवेदन कराए जाने पर उन्हें एक पर्ची भी दी जाए। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को यह साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। द्विवेदी ने कहा, राजनीतिक दल शोर मचा रहे हैं, लेकिन स्थिति उतनी खराब नहीं है।

हम पर विश्वास रखें और हमें कुछ और समय दें। हम आपको दिखा देंगे कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है।

लोकतंत्र बच गया- कांग्रेस

बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने (एसआईआर मुद्दे) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र पर हुए एक कठोर हमले से देश को बचाने वाला है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को सुरक्षित किया है। चुनाव आयोग ने अब तक बाधा डालने वाली और मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने वाली भूमिका निभाई थी। लेकिन अब अदालत ने राजनीतिक दलों को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब उन्हें एक लागू होने योग्य अधिकार मिल गया है जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता।

चुनाव आयोग पर तीखा हमला

कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा- आज चुनाव आयोग पूरी तरह बेनकाब और बदनाम हो चुका है। उसके पीछे के जी-2

बेगूसराय में पीएम मोदी ने 6 लेन ब्रिज का किया उद्घाटन

नीतीश कुमार के साथ पुल पर घूमे, गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों विपक्षी दल संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक के खिलाफ हैं, क्योंकि उनके अधिकतर नेता या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। बता दें कि लोकसभा में बुधवार को यह विधेयक पेश किया गया था, जिसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव है। पीएम मोदी ने बिहार के गयाजी में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि राजद और उसके सहयोगी बिहार को केवल अपना वोट बैंक समझते हैं और राज्य में सब जानते हैं कि राजद नेता हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ''राजद और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में कोई बड़ी परियोजना पूरी नहीं हुई। उन्होंने कभी जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा, बस अपनी जेबें भरने में लगे रहे। उन्होंने अवैध आव्रजन के मुद्दे पर कहा कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, ''हम घुसपैठियों को राज्यों के लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। राजद और कांग्रेस इन घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। वे तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त हैं। बिहार के लोगों को ऐसे दलों और ऐसे नेताओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में आज शुरू की गईं परियोजनाओं से राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मगध क्षेत्र में आज 16,000 पक्के मकान दिए गए और उनकी सरकार देश के हर गरीब परिवार को ऐसे आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजग सरकार बिहार में रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी बोले- आरजेडी और कांग्रेस संविधान संशोधन बिल के खिलाफ क्योंकि उनके नेता या तो जेल में या जमानत पर

जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को बताया चुराओ आयोग, वोट चोरी पर जवाब नहीं देने का लगाया आरोप

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला बोला और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के दमन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब 21 जुलाई को अध्यक्ष ने फैसला सुनाया, तो उन्होंने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों मांगा वे क्या संदेश देना चाहते थे जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत का चुनाव आयोग वोट चोरी पर कोई जवाब नहीं दे रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमका रहे हैं, 65 लाख लोगों के वोट छीने जा रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने ऐसी परिस्थितियों में संसदीय कार्यवाही की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में लोकतंत्र या संविधान ही नहीं है, तो शून्यकाल और प्रश्नकाल का क्या मतलब है वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सरकार पर दलितों और ओबीसी को निशाना बनाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, यह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि चुराओ आयोग है। एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के चुनाव आयोग से यह प्रक्रिया अपनाने को कहा है क्योंकि वे जानते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग भाजपा को नहीं, बल्कि भारत गठबंधन को वोट देंगे। वे वोट छीनना चाहते हैं क्योंकि चुनाव जीतने का यही एकमात्र तरीका है। इस बीच, कांग्रेस के एक अन्य नेता केसी वेणुगोपाल ने बिहार में मतदाता सूची के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार को न्याय दिए जाने पर विश्वास व्यक्त किया। एएनआई से बात करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा के दौरान, लोगों ने मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के ठोस सबूत पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार को न्याय देगा। यह आम धारणा है। बिहार में एसआईआर से जुड़े कुछ वास्तविक मुद्दे हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और लोग ठोस सबूतों के साथ उनसे शिकायत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कितने वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। हालांकि, इसके विपरीत, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए सभी हालिया वोट चोरी के दावों का खंडन किया।

शिक्षक समेत दो सरकारी कर्मचारी निकले लश्कर-ए-तैयबा के मददगार, एलजी मनोज सिन्हा ने किया बर्खास्त

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है, जो राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार देता है।

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शामिल हैं

खुर्शीद अहमद राथर-करनाह, कुपवाड़ा में कार्यरत एक शिक्षक

सियाद अहमद खान- केरन, कुपवाड़ा में भेड़ पालन विभाग में सहायक स्टॉकमैन

जांच एजेंसियों के अनुसार, दोनों कर्मचारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे।

कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिनमें आतंकियों को सहायता पहुंचाने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और देशविरोधी तत्वों के साथ संपर्क होने जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बाढ़, 250 घर डूबे

गुजरात में टैंकर बहा, इस पर सवार 13 लोगों का रेस्क्यू

नई दिल्ली। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को 4 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़) में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाली पार इलाके में करीब 250 घर पानी में डूब गए। उधर गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद माधवपुर घेड इलाके में जलभराव हो गया। दूध का टैंकर बह गया। उसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। वहीं जम्मू-कश्मीर में पुंछ के मंडी सेक्टर में लैंडस्लाइड के चलते एक स्कूल का हिस्सा टूट गया। मौसम विभाग ने हिमाचल में 23 से 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे समेत कुल 347 सड़कें अभी भी बंद हैं। इसके अलावा 281 ट्रांसफॉर्मर और 145 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। राज्य में अब-तक 2282 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 149 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 38 लापता हैं। राज्य में सामान्य से 17फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है।

संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत मस्जिद समिति की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत की ओर से दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है। मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर को सिविल जज की ओर से मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जो उसी दिन हुआ था। समिति ने दावा किया कि पिछले वर्ष 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि सिविल न्यायालय ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था।

पीएम मोदी के मंच पर नजर आए राजद के दो विधायक

नवादा। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे के दौरान नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की वर्तमान विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दिए। इसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। दोनों विधायक जल्द ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने जा रहे हैं। दोनों को विशेष तौर पर पीएम मोदी के मंच पर बुलाया गया था। हालांकि, जदयू की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक, पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी विभा देवी लंबे समय से राजद से नाराज चल रही थीं। वहीं, प्रकाश वीर भी पार्टी में अपनी उपेक्षा से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। हाल में ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद नेताओं पर कई आरोप लगाए थे। हाल में ही विभा देवी प्रेस वार्ता कर कहा था कि ने कहा कि उन्होंने, उनके जेठ कृष्णा प्रसाद, स्व. जेहल प्रसाद या जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद ने कभी वोट का सौदा नहीं किया। यह नवादा है, रुपौली नहीं, जहां एक दिन में करोड़ों रुपये बांटे जाते हैं।

झारखंड विधानसभा में उठी दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग, सदन में छलके उठे सीएम हेमंत सोरेन के आंसू

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और यह 28 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा सदन में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा और भारत रत्न देने की मांग भी उठी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4296 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो का अभिनंदन किया। इसके अलावा सत्र शुरू होने से पहले झारखंड के

पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आदि के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा परिसर में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा और भारत रत्न देने की मांग भी उठी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाए। साथ ही उन्होंने गुरुजी की संघर्ष गाथा और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। पक्ष-विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने दुख जताते हुए बताया कि शिबू सोरेन का विशाल व्यक्तित्व था। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंखों में आंसू छलकने लगे। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए और रुमाल से आंसू पोंछते रहे। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ भी था, लेकिन 4 अगस्त को दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सत्र को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

भारत को शिखर पर पहुंचाने तक किसी को आराम करने का अधिकार नहीं : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और उन्होंने देशवासियों से भारत को विश्व के हर क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि केरल आज भी ''वहीं है, जहां वह 11 साल पहले था और उन्होंने इस दक्षिणी राज्य को पीछे धकेलने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण उत्पन्न ''गतिरोध को जिम्मेदार ठहराया। यहां 'मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करते हुए शाह ने वर्तमान सरकार के रिकॉर्ड की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता का शिकार रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 10 साल तक केवल इतना किया कि यह 12वें स्थान पर न फिसले। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। शाह ने कहा, ''जब तक हम शिखर तक नहीं पहुंचते और महान भारत का निर्माण

नहीं करते, किसी को आराम करने का अधिकार नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि 75 से 100 साल की यात्रा में 140 करोड़ नागरिक हर क्षेत्र में देश को शीर्ष पर ले जाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। शाह का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इससे वस्त्र, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि शांति और विकास की दृष्टि से जब भी राष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी शासन के 11 साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित होंगे। गृह मंत्री ने कहा, ''फिर भी, मुझे अफसोस है कि भारत तो आगे बढ़ गया है, लेकिन केरल आज भी वहीं है, जहां वह 11 साल पहले था। केरल के पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से उत्पन्न गतिरोध ने इसके विकास को रोक दिया। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में केरल की जनता मतदान का अधिकार प्रयोग कर राष्ट्रीय विकास यात्रा में शामिल होगी।